

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3456
जिसका उत्तर गुरुवार, 25 मार्च, 2021 को दिया जाना है

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में शिक्षण शुल्क

3456 . डा. अमी याज्ञिक :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में शिक्षण शुल्क बहुत अधिक है ;
- (ख) यदि हां, तो निर्धन छात्रों की शिक्षा हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं ;
- (ग) क्या सरकार उक्त शुल्क को कम करने के लिए कोई कदम उठा रही है ; और
- (घ) क्या छात्रों को छात्रवृत्ति देने की कोई योजना है ?

उत्तर

**विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)**

(क) से (घ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।
